

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 703/2023 (धारा 14 शिक्कोरिटाईजेशन)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पता ग्यारवी मंजिल टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क
गणपतराव कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- 1 श्रीमती आशा भील पत्नि उत्तम भील
पता- डी-84, घीया मार्ग, बनीपार्क जयपुर
एवं फ्लेट नम्बर एस -2, दूसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर सी-46, ए जी हाईट्स, मंगलम सिटी, ग्राम
हाथोज, कालवाड रोड जयपुर
एवं काया केयर ब्यूटी विलीनीक , 57-बी , नाहरी का नाका जयपुर
2. श्रीमती गंगा देवी पत्नि नाथू सिंह
पता-डी-84, घीया मार्ग, बनीपार्क जयपुर
एवं फ्लेट नम्बर एस -2, दूसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर सी-46, ए जी हाईट्स, मंगलम सिटी, ग्राम
हाथोज, कालवाड रोड जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

**The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002.**

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।



आदेश

दिनांक 30.06.2023


संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती आशा भील के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एस -2, दूसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर सी-46, ए जी हाईट्स, मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड जयपुर कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट बन्धक रख कर दिनांक 31.07.2017 को ऋण सुविधा एवं उक्त ऋण को दिनांक 24.12.2020 को रि-स्ट्रक्चर कर कुल राशि 20,14,144/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.01.2023 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस दी इण्डियन एक्सप्रेस व सीमा संदेश अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

2/3
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिसा इगदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 20,14,1444/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 21,57,725/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के अन्तर्गत आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।



4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमति आशा भील के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति फ्लेट नम्बर एस -2, दूसरी मंजिल, प्लॉट नम्बर सी-46, ए जी हाईड्स, मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड जयपुर कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर
कलक्टर